# उत्तराखण्ड प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबन्धन एवं नियोजन प्राधिकरण
## (उत्तराखण्ड कैम्पा)

वन मुख्यालय, 85 राजपुर रोड़,देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135–2744077 ई–मेलः ceocampa-forest-uk@nic.in
Website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक–221 /2017–18 दिनांक, 11 जुलाई, 2017

सेवा में,

समस्त संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा।

**विषय– उत्तराखण्ड कैम्पा की वर्ष 2017–18 की कार्ययोजना के अंतर्गत प्रभागों के स्तर पर हरेला कार्यक्रम आयोजन के दृष्टिगत धनराशि आवंटन के संबंध में।**

महोदया/महोदय,

जैसा कि विदित है कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 16 जुलाई 2017 को प्रत्येक जनपद में वृहद् स्तर पर हरेला कार्यक्रम के आयोजन का निर्णय लिया गया है। इसी कम में प्रत्येक वन प्रभाग के स्तर पर हरेला कार्यक्रम मनाया जाना है जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों, स्कूल के बच्चों व अन्य गणमान्य नागरिकों के सहयोग से सार्वजनिक भूमि पर वृक्षारोपण व वनों एवं वन्यजीवों के संरक्षण हेतु संकल्प लिया जाना है। मुख्यालय स्तर पर यह कार्यक्रम देहरादून वन प्रभाग द्वारा आयोजित किया जाना है।

उपरोक्त के मध्यनजर, निम्नलिखित तालिकानुसार संबंधित वन प्रभागों को कुल **रू0 45.00 लाख** की धनराशि की आहरण सीमा प्रभागीय स्तर पर हरेला कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु आपके कैम्पा खातों में निर्धारित की गई है।

| SL. NO. | Name of Forest Divisions | Amount (In Lakh Rs.) |
|---|---|---|
| | **BHAGIRATI CIRCLE** | |
| 1 | NARENDRA NAGAR Forest Division | 1.00 |
| 2 | TEHRI Forest Division | 1.00 |
| 3 | TEHRI DAM I Forest Division | 1.00 |
| 4 | TEHRI DAM II Forest Division | 1.00 |
| 5 | UTTARKASHI F.D Forest Division | 1.00 |
| 6 | UTTARKASHI S.C Forest Division | 1.00 |
| | **GARHWAL CIRCLE** | |
| 7 | ALAKNANDA SOIL Forest Division | 1.00 |
| 8 | BADRINATH F.D Forest Division | 1.00 |
| 9 | GARHWAL F.D Forest Division | 1.00 |
| 10 | RUDRAPRAYAG F.D Forest Division | 1.00 |
| 11 | PAURI (CIVIL SOYAM) Forest Division | 1.00 |
| | **SHIVALIK CIRCLE** | |
| 12 | DEHRADUN F.D Forest Division | 5.00 |
| 13 | HARIDWAR F.D Forest Division | 1.00 |
| 14 | LANSDOWNE F.D Forest Division, Kotdwar | 1.00 |
| 15 | KALSI Soil Conservation Forest Division | 1.00 |

| SL. NO. | Name of Forest Divisions | Amount (In Lakh Rs.) |
|---|---|---|
| | | |
| 16 | LANSDOWNE S.C Forest Division, Kotdwar | 1.00 |
| | **YAMUNA CIRCLE** | |
| 17 | CHAKRATA F.D Forest Division | 1.00 |
| 18 | MUSSOORIE F.D Forest Division | 1.00 |
| 19 | TONS F.D Forest Division, Purola | 1.00 |
| 20 | UPPER YAMUNA BARKOT F.D Forest Division | 1.00 |
| | **NORTH KUMAON CIRCLE** | |
| 21 | ALMORA F.D Forest Division | 1.00 |
| 22 | ALMORA CIVIL SOYAM Forest Division | 1.00 |
| 23 | BAGESHWAR F.D Forest Division | 1.00 |
| 24 | CHAMPAWAT F.D Forest Division | 1.00 |
| 25 | PITHORAGARH F.D Forest Division | 1.00 |
| | **SOUTH KUMAON CIRCLE** | |
| 26 | NAINITAL F.D Forest Division | 1.00 |
| 27 | NAINITAL S.C Forest Division | 1.00 |
| 28 | Ranikhet S.C Forest Division | 1.00 |
| 29 | RAMNAGAR S.C Forest Division | 1.00 |
| | **WESTERN CIRCLE** | |
| 30 | HALDWANI F.D Forest Division Haldwani | 1.00 |
| 31 | RAMNAGAR F.D Forest Division | 1.00 |
| 32 | TARAI CENTRAL Forest Division Haldwani | 1.00 |
| 33 | TARAI EAST Forest Division Haldwani | 1.00 |
| 34 | TARAI WEST Forest Division Ramnagar | 1.00 |
| | **WILDELIFE** | |
| 35 | CORBETT Tiger Reserve, Ramanagar | 1.00 |
| 36 | KALAGARH TIGER RESERVE, Kalagarh | 1.00 |
| 37 | KEDARNATH WILDLIFE DIV. | 1.00 |
| 38 | NANDA DEVI Forest Division, Joshimath | 1.00 |
| 39 | GOVIND WLS | 1.00 |
| 40 | GANGOTRI N.P | 1.00 |
| 41 | Rajaji Tiger Reserve, Dehradun | 1.00 |
| | **TOTAL** | **45.00** |

उक्तानुसार जारी की गई आहरण सीमा का उपयोग निम्न निर्देशों/शर्तों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

1. **अवमुक्त धनराशि का उपयोग नियमानुसार उपरोक्त स्वीकृत मदों में ही किया जाय। स्वीकृत मदों से भिन्न मदों में धनराशि का व्यय किसी भी दशा में न की जाय।**
2. अवमुक्त धनराशि एवं लक्ष्यों का कैम्पा की गाईडलाइन, भारत सरकार से जारी दिशा–निर्देशों एवं उच्च स्तरों से समय–समय पर प्राप्त अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए, शत् प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित की जाय।
3. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 तथा अन्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाय।
4. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 (लेखा नियम) भाग–1 एवं खण्ड–7 (वन लेखा नियम) आय–व्ययक संबंधी नियम (बजट मैनुअल)

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2003 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5. **उत्त्तराखण्ड कैम्पा निधि के अन्तर्गत किये जाने वाले भुगतानों को भारत सरकार व राज्य सरकार के वर्तमान प्रचलित दिशा–निर्देशों/शासनादेशों एवं पूर्व में संचालन समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार चैक अथवा RTGS के माध्यम से किया जाय।**
6. प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने एवं निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए सामग्रियों व कार्यों की मात्रा को छोटे–छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए।
7. उक्त कार्यों को किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य अन्य योजनाओं में प्रस्तावित अथवा कराए न गए हों।
8. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए।
9. **कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाए। बजट की प्रत्याशा एवं बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई कार्य सम्पन्न न कराया जाए।**
10. कैम्पा योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले समस्त कार्यों हेतु मानक दर के अनुसार ही मजदूरी का भुगतान किया जाए।
11. **सम्पादित कार्यों को अनिवार्य रूप से ई–ग्रीनवॉच पोर्टल में 15 दिनों के अंतर्गत अपलोड कर प्रविष्टि की जाये।**
12. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
13. निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण करा लिया जाए एवं व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, में पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।
14. व्यय की अधिकतम सीमा कैम्पा निधि की स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
15. आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरदायी होगें।
16. उपरोक्त कार्यो को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं है। यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत किया जाय तथा दूसरी योजना में प्रदत्त स्वीकृति को निरस्त कर यथासमय इस कार्यालय को सूचित किया जाय।
17. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
18. प्रभागीय तथा वृत्त स्तर पर प्रशासनिक/वित्तीय प्रबन्धन के लिए समयबद्ध/प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
19. समस्त स्थल विशिष्ट कार्य की अक्षांश व देशांतर की कैम्पा एम0आई0एस0 में प्रविष्टि समयबद्ध रूप से की जाय तथा सम्पादित कार्यों के यथासम्भव फोटो भी एम0आई0एस0 में अपलोड किए जाएं।
20. **सम्पादित कार्यों की प्रविष्टि कैम्पा एम0आई0एस0 में समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए।**
21. **सम्पादित कार्यों का क्लासिफाइड मासिक लेखा एवं भौतिक/वित्तीय प्रगति प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए।**

भवदीय,

(समीर सिन्हा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

पत्रांक–221 / /2017–18/ तद्दिनांकित

प्रतिलिपि–

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

4. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल जोन, कुमाऊं जोन एवं शिवालिक जोन, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। ।
5. समस्त वन संरक्षक / निदेशक, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(समीर सिन्हा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक /
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा